

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

ई-मेल द्वारा

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 23/05/25

विषय:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा CFMS/HRMS में चलान पर त्रुटिपूर्ण विपत्र कोर्ड अंकित किये जाने के जाने के संबंध में ।

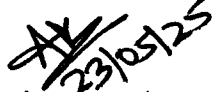
प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-61 दिनांक-17.10.2024 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया गया था की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में लिए गये ऋण की अदायगी के क्रम में चलान पर प्रायः त्रुटिपूर्ण विपत्र कोर्ड अर्थात Classification of Head of Account अंकित किये जा रहे हैं, जिसके कारण महालेखाकार कार्यालयों में Wrongly Booking of Receipt के कारण ऋणात्मक शेष (Adverse Balance) प्रदर्शित हो रहे हैं, जो उचित नहीं है ।

उक्त के संबंध में पुनः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयांकित मामलों के शीघ्र निराकरण के संबंध में कारवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

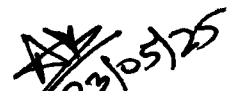

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-20/सांख्यिकी-178/2016-42

पटना, दिनांक- 23/05/25

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि परिक्षेत्राधीन सभी कार्यपालक अभियन्ताओं को उपर्युक्त के संदर्भ में पुनः कारवाई करने हेतु निदेशित करना चाहेंगे ।


संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)